न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3186–एक/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 27–01–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर सिवनी, जिला–सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–63/2010–11

परमानंद आत्मज जियालाल जायसवाल
निवासी–विवेकानंद वार्ट कटंगी रोड सिवनी
तहसील व जिला–सिवनी (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– किब्बा आ0 झनकला गोंड
निवासी–ग्राम गौराबीबी तहसील लखनादौन
जिला–सिवनी

2– वीरोबाई पति बंशी गोंड
निवासी–ग्राम गौराबीबी तहसील लखनादौन
जिला–सिवनी

3– तीरन आ0 नन्हेलाल गोंड
निवासी–ग्राम गौराबीबी तहसील लखनादौन
जिला–सिवनी

4– अकतो आ0 नन्हेलाल गोंड
निवासी–ग्राम गौराबीबी तहसील लखनादौन
जिला–सिवनी

5– मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

....

स्वयं, आवेदक

श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 5

अनावेदक क्र0 1 से 4 एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा, 8, 32 एवं 50(1) की सहपठित धारा 7 म0प्र0आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 के अंतर्गत अपर कलेक्टर सिवनी, जिला–सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नम्बर 24/3 रा0नि0मं0 आदेगांव तहसील लखनादौन जिला सिवनी को सूचना मिलने पर उसके द्वारा दिनांक 05.06.2011 को ग्राम गौराबीबी स्थित अनावेदक क्र0 1 की विवादित भूमि खसरा नं0 184 रकबा 5.02 हैक्टेयर का निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण करने के दौरान अनावेदक की उक्त भूमि में स्थित 31 सागौन वृक्षों की अवैध कटाई की गई है । हल्का पटवारी द्वारा स्थल पंचनामा तैयार करते हुए अवैध रूप से एवं बिना अनुमति के काटे गये समस्त 31 सागौन वृक्षों की लकड़ी को जप्त कर अनावेदक के सुपुर्द ही कर दिया गया एवं पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.06.2011 को अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन द्वारा अवैधानिक वृक्षों की कटाई का यह प्रकरण विधिवत कार्यवाही हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर सिवनी को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण क्रमांक 01/अ–63/2010–11 पंजीबद्ध कर अपर कलेक्टर द्वारा अनावेदक क्र0 1 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया । अनावेदक क्रमांक 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदकगण के हित में आक्षेपित आदेश दिनांक 27.01.2012 पारित कर प्रतिलिपि वनमंडलाधिकारी एवं अनावेदक क्र0 1 को प्रेषित किया गया । अपर कलेक्टर सिवनी के आक्षेपित आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि संगत अधिनियम की धारा 2 (ग) में कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियां एवं उनके अधीन कार्य

अपर कलेक्टर को तभी आवंटित किए जा सकते थे, जब राज्य सरकार द्वारा तदाशय की अधिसूचना विशेष रूप से जारी कर उन्हें सशक्त किया गया हो । प्राप्त जानकारी अनुसार उक्ताशय की विशिष्ट सूचना राज्य सरकार से जारी होने का अभाव है । अधिनियम की धारा 9 में यथाउपबंधित अनुसार आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि के खाते में खड़े सागौन विनिर्दिष्ट प्रजाति के वृक्ष अधिनियम या उसके अधीन बने नियम के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञा जारी होने के उपरांत वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में विभागीय रूप से काटे जाकर डिपो परिवहन कराया जाना दो माह की विनिर्दिष्ट कालावधि में उपबंधित है, जिसका आंकलित मूल्य संयुक्त खाते में 7 दिन में भुगतान किया जाना उपबंधित है। इन उपबंधों के उल्लंघन में वृक्ष काटा जाना अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, और धारा 9 (1) के अधीन कार्यवाही करने का आधार गठित करने वाले अवैध कटाई के वृक्षों की लकड़ी अभिग्रहणीय है और वह अभिग्रहण के साथ ही राज्य सरकार को राजसात हो जाना उपबंधित है । इस प्रकरण में अनावेदक क्रं0 1 लगायत 4 द्वारा अवैध रूप से कटाई की जाने पर पटवारी द्वारा जप्त काष्ट अनावेदकगण द्वारा अवैध कटाई को स्वीकार करने से शासन में राजसात की जानी चाहिए थी, और घटित संज्ञेय उपराध की रिर्पोट पुलिस में की जाकर उक्त काष्ट अभिग्रहण कर धारा 9(1) के उपबंधानुसार दांडिक कार्यवाही भी जाना अपेक्षित था, जिसका अवैध लोप जानबूझकर किया जाना स्पष्ट प्रकट है । अनावेदकगण को जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23.07.2011 की कंडिका 4 में उक्त अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुये नियमानुसार अर्थदंड राशि से दंडित किए जाने का प्रस्ताव किया गया जो प्रावधानों के प्रतिकूल है । उपबंधों के विरूद्ध वृक्ष काटे जाने पर अर्थदंड से दंडित करने अथवा दोषियों को क्षमा करने कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई शक्ति कलेक्टर/अपर कलेक्टर को प्राप्त नहीं है । आवेदक द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि अवैध वृक्ष कटाई से पर्यावरण प्रतिकूल रूप से दोषप्रभावित होता है । प्राण वायु की कमी होती है इस कारण वृक्ष कटाई को नियंत्रित करने तथा वृक्ष कटाई को विनियमित करने और विचोलिया द्वारा भूमिस्वामियों के शोषण की आशंका को निर्मूल करने में वृक्ष कटाई की अनुज्ञा का सरलीकरण किया जाकर समय निर्दिष्ट

कार्यवाहियां उपबंधित करते हुए दो माह में अनुज्ञा जारी करने तथा दो माह में वनविभाग द्वारा कटाई से परिवहन की संक्रियाएं पूर्ण कर सात दिन में काष्ट के मूल्य का भुगतान संयुक्त खाते में करने का प्रावधान किया गया है, परन्तु उक्त विधिक प्रक्रिया का विनिर्दिष्ट समय अनुरूप पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है, इस कारण भूमिस्वामी व्यथित है । जैसा कि अनावेदक हंसराम ने उसके लिखित जवाब की कंडिका 5 में लेख भी किया है । अवैध वृक्ष कटाई करके मिली–भगत से कागजी खानापूर्ति करवाकर इस तरह के आदेश पारित करवा रहे हैं । ऐसा होना इस प्रकरण में भी अशंकित है, जिसकी समुचित निष्पक्ष जांच नहीं की गई । आक्षेपित आदेश जारी करने में अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में असदभावपूर्ण आशय से पारित होना प्रकट है, आदेश सम्यक सावधानी के बिना पारित है तथा नियमों में यथाउपबंधित अनुसार पारित नहीं है। विधि के अभिव्यक्त उपबंधों का उल्लंघन कारित है, फलतः प्रकरण में धारा 9(3) के उस उपबंध आकर्षित होते है, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवक एवं अन्य गैर सरकारी व्यक्ति दंडित किए जाने चाहिए, उस हेतु विधि अनुसार कार्यवाही की जाना लोकहित में, व्यापक जनहित में अतिआवश्यक है । अंत में आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सिवनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्र0 1 से 4 की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । उन्हें एकपक्षीय किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 5 शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को वैधानिक एवं विधिनुकूल बताते हुये निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह प्रमाणित पाया गया है कि अनावेदकगण के द्वारा उनके कृषि भूमि पर खड़े सागौन के वृक्ष बिना वैध अनुमति के काटे गये । उक्त कार्यवाही संज्ञान में आने के उपरांत जॉच सम्पादित की जाकर अपर कलेक्टर सिवनी के द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है आवेदक का इस निगरानी में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है क अपर कलेक्टर का उक्त आदेश म0प्र0आदिम

जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 के प्रावधानों के विपरीत है । उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपधारा 1 व 2 में नियमानुसार प्रावधान है ''उल्लंघन के लिये दण्ड–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों व उपबंधों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति जो आदिम जनजातियों के खातों में खड़े हुये विनिर्दिष्ट किन्हीं वृक्षों को काटता है, उनका परितक्षण करता है, उनमें कॉट–छॉट करता है या उनको अन्यथा नुकसान पहुॅचाता है या उनके किसी भाग को हटाता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे कठोर कारावास का, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने का, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।''

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जायेगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जायेगी परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षड़यंत्र कपट और छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात् कलेक्टर के आदेश के अधीन पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये पचास प्रतिशत तक की सीमा तक भूमिस्वामी को दिये जायेंगे ।''

7/ अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश पारित करते समय अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवलोकन नहीं करते हुये उक्त प्रावधानों के पूरी तरह विपरीत आदेश पारित किया है उनको चाहिये था कि काटी गई अवैध लकड़ी को अभिग्रहण कर शासन में राजसात करते, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दांडिक कार्यवाही दर्ज कराने की कार्यवाही करते तथा उक्त अवैध कटाई के संबंध में अन्य जो भी व्यक्ति दोषी है उनके संबंध में जॉच की जाकर नियमानुसार उनके विरूद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करते ।

8/ आवेदक ने यह आपत्ति भी ली है कि कलेक्टर के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर को आदेश पारित करने के लिये अधिकृत नहीं किय जा सकता। आवेदक की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 8 में अधिनियम के संदर्भ में भू–राजस्व संहिता के उपबंधों को लागू होना दर्शाया गया

है तथा भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत अपर कलेक्टर को भी समान अधिकार मान्य किये गये हैं ।

9/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 27–01–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण कलेक्टर जिला सिवनी को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह स्वयं प्रकरण में म0प्र0आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये पुनः विधिक आदेश पारित करें तथा तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर